भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

06.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2817 का उत्तर

आंध्र प्रदेश में किसान रेल का विस्तार

2817. श्री केसिनेनी शिवनाथ:
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के लिए शुरू की गई किसान रेलगाड़ियों की मार्गवार और जिलेवार संख्या कितनी है;

(ख) आंध्र प्रदेश से परिवहन की जाने वाली नाशवान उपज की फसलवार मात्रा कितनी है और इसके कितने प्रकार हैं;

(ग) क्या उक्त राज्य के किसी सब्जी/फल उत्पादक जिले को किसान रेल सर्किट योजना में शामिल किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वित्तीय और कार्यान्वयन प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें शामिल न करने के क्या कारण हैं और इन जिलों में किसान रेल के विस्तार के लिए भविष्य की योजनाओं, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश के रेल स्टेशनों पर किसान रेल सेवाओं की सहायता करने के लिए कोई शीतागार शृंखला/प्रशीतित भंडारण अवसंरचना बनाई गई है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): 7 अगस्त 2020 को किसान रेल सेवा के शुभारंभ से, आंध्र प्रदेश से असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और त्रिपुरा की ओर 116 फेरे लगाए गए हैं, जिनमें केले, आम, प्याज आदि सहित 34,196 टन नश्यवान वस्तुओं का परिवहन किया गया है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों के कृषि/पशुपालन/मत्स्यपालन विभागों के साथ-साथ स्थानीय निकायों तथा एजेंसियों, मंडियों आदि के परामर्श से सब्जियों, फलों और अन्य नश्यवान पण्यों के आवागमन के लिए संभावित सर्किटों की पहचान की जाती है तथा परिचालनिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए मांग के आधार पर लागू शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई जाती है।

2024-2025 के दौरान आंध्र प्रदेश में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो (ताड़िपात्री से 524 और आईसीडी/वीइजाग से 113) से कंटेनर कॉरपोरेशन (कॉनकोर) द्वारा 637 रीफर कंटेनर परिचालित किए गए।

*****